

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय आदेश संख्या : 66/2024

श्री सत्यम राज, प्रशिक्षु जेई/ब्रिज, पे लेवल-8 को प्रारंभिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने एवं सक्षमता जाँच में सफल होने के उपरान्त प्रधान मुख्य इंजीनियर/हाजीपुर के अनुमोदन से जेई/ब्रिज (मुख्यालय नियंत्रित पद), पे लेवल-8 के पद पर स्थायी रूप पर working post पर समस्तीपुर मंडल के अधीन पदस्थापित किया जाता है।

रेलवे बोर्ड के प्रपत्र सं 88/92 में दिये गये निर्देशानुसार नियुक्ति तिथि से नौशनल वेतनवृद्धि का लाभ देते हुए जेई/ब्रिज(पे लेवल-8) के पद पर वेतन का लाभ प्रोफार्मा आधार पर एवं वास्तविक लाभ कार्यभार ग्रहण की तिथि से देय होगा।

Name of Candidate(Sri)	Father's Name	DOB	Medical	Educational Qualification	Place of Posting	Lien
Satyam Raj	Ramkrit Rao	05.01.97	A-3	B.Tech (Civil Engg)	SPJ (Under SSE/Br/SPJ)	ECR (HQ Controlled.)

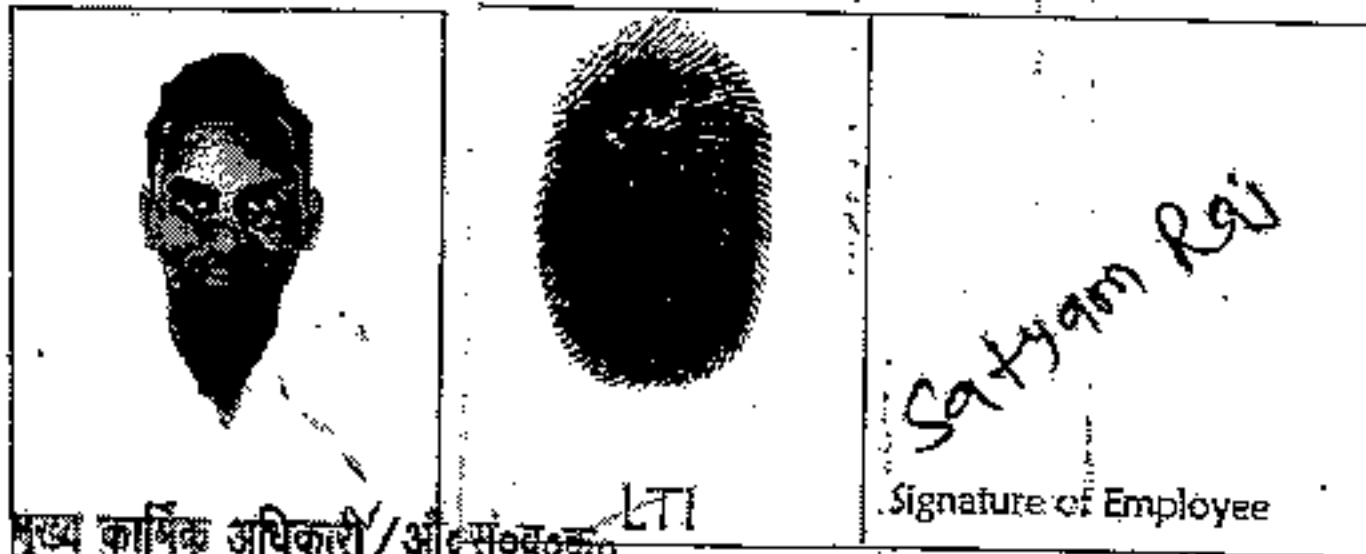
श्री सत्यम राज तृतीय श्रेणी के रेलवे कर्मचारी पर लागू सभी नियमों एवं शर्तों से शासित होंगे। अभ्यर्थी द्वारा दिए गए विवरण प्रमाण-पत्र भविष्य में यदि गलत पाये जाते हैं तो न केवल उनकी उम्मीदवारी बगैर किसी सूचना के निरस्त कर दी जायेगी बल्कि इनके विरुद्ध अनुशासनिक एवं फौजदारी मुकदमा भी चलाया जा सकता है जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। साथ ही रेलवे द्वारा उनका वेतन इत्यादि के रूप में दी गई धनराशि की भी वसूली की जायेगी। कर्मचारी का वास्तविक वेतन इनके द्वारा कार्य पर योगदान तिथि से देय होगा।

रेल परिषद के पत्रांक F(E)/III/2003PN/24 dt. 31.12.2003 के अनुसार ये नये पेंशन नियम से शासित होंगे।

इन्हें प्रादेशिक सेना के रेलवे इंजीनियरिंग इकाई में आवश्यकतानुसार 12 वर्षों तक या जो अवधि निर्धारित की जायेगी सैन्य सेवा करनी होगी।

इस पर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

कर्मचारी श्री सत्यम राज के पक्ष में रिपोर्ट करने की तिथि 11.03.24 से कार्यालय आदेश जारी होने तक की अवधि को ड्यूटी हेतु प्रतीक्षारत माना जाएगा। श्री राज का सत्यापित फोटोग्राफ, हस्ताक्षर एवं बायें अंगूठे का निशान निम्नवत है।



सम मुख्य कार्यालय अधिकारी/ऑफिसर
DY. CPO/11224
पूर्व मध्य रेल/हाजीपुर
East Central Railway/Hajipur

(जे० पी० सिंह)
उप० मुकाधि/आइआरएण्डडब्ल्यू
कृते महाप्रबंधक(का०)/हाजीपुर

E.office No-ECR-HQ0PERS(ENGG)/2/2020(C.No.152073)

दि० 10.04.2024

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुई/पूमरे/हाजीपुर एवं मुख्य ब्रिज इंजीनियर/हाजीपुर
2. मरेप्र(का०)/पूमरे/समस्तीपुर, डीडीयू एवं मरेप्र/वित्त/समस्तीपुर
3. सकाधि(एमपीपी)/पूमरे/हाजीपुर।
4. संबंधित कर्मचारी।

कृते महाप्रबंधक(का०)/पूमरे/हाजीपुर